Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2023, VOL- 10/75

भारत में सामाजिक विधानों का प्रकार्यात्मक पक्ष, क्रियान्वयन एवं महिला सशक्तिकरण

आशा (शोधार्थिनी)[१]

एवं

डॉ मुकेश चन्द[२]

समाजशास्त्र विभाग बी० एस० ए० कालेज , मथुरा

Paper Received On: 21 FEBRUARY 2023

Peer Reviewed On: 27 FEBRUARY 2023

Published On: 01 MARCH 2023

शोध सार

निःसन्देह; आज भारतीय स्त्रियों का सामाजिक जीवन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय से बिल्कुल भिन्न है। जिन परिवारों में कुछ ही वर्षों पूर्व स्त्रियों हेतु पर्दे में रहना अनिवार्य था, उन्हीं परिवारों की स्त्रियाँ आज रोजगारोन्मुखी बनकर खुली हवा में सांस ले रही हैं। जिन रूढ़ियों को अपनी अज्ञानता के फलस्वरूप स्त्रियों ने अपना आदर्श बना लिया था, उन्हीं रूढ़ियों को वह निरन्तर छोड़ती जा रही हैं। आज भारतीय स्त्रियाँ अनेक प्रगतिशील समूहों का निर्माण कर रहीं हैं; और ऐसे सामाजिक संगठनों की सदस्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि ग्रामीण परिवेश की स्त्रियाँ पूर्णतया मुक्ति नहीं पा सकी हैं। लेकिन उन्होंने कुरीतियों को आलोचना की दृष्टि से देखना अवश्य आरम्भ कर दिया है। यह स्थिति भविष्य में निश्चय ही भारतीय नारी की सामाजिक प्रस्थिति को सामाजिक विधानों के प्रभावों से काफी सीमा तक बदल देगी।

पारिभाषिक शब्दः *रोजगारोन्मुखी, अज्ञानता, जागरूकता, प्रकार्यात्मक।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

विश्लेषण एवं परिलब्धियाँ : शोधर्थिनी ने अपने शोध अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से सम्पादित करने के लिए अध्ययन समस्या की प्रकृति, अध्ययन के महत्व एवं अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखकर ''व्याख्यात्मक'' (ऐक्सप्लेनेटरी) शोध प्ररचना को चुना है; क्योंकि इस शोध प्ररचना का मौलिक उद्देश्य अध्ययन समस्या से सम्बन्धित प्राप्त मौलिक जानकारी तथा प्राथमिक व द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर शोध अध्ययन को वर्णन के रूप में स्पष्ट करना होता है।

शोधार्थिनी ने सामाजिक विधानों के क्रियान्यन के सम्बन्ध में २५० सूचनादात्रियों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया। प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका सं.१ संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका १– सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन के प्रति विचार

क्रमांक	सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन के प्रति विचार	संख्या	प्रतिशत
१.	क्रियान्वयन सुचारू हो रहा है	१७५	७०.००
२.	सुचारू नहीं हो पा रहा है	५३	२१.२०
३.	क्रियान्वयन के प्रति उदासीन विचार	१७	०६.८०
४.	अनुत्तरित रहे	०५	०२.००
	समस्त	**२५०**	**१००.००**

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों से स्पष्ट है कि अध्ययन की गयी २५० सूचनादात्रियों में से सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन को १७५(७० प्रतिशत) ने सफलतापूर्वक होना स्वीकार किया है, २१.२० प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में 'नकारात्मक' प्रत्युत्तर प्रदान किए हैं, जबकि ६.८० प्रतिशत ने उदासीन विचार व्यक्त किए हैं; तथा मात्र २ प्रतिशत सूचनादात्रियॉं इस प्रश्न पर अनुत्तरित रही हैं। सुस्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में 'सामाजिक विधानों का क्रियान्वयन' सुचारू हो रहा है। 'नकारात्मक उत्तर' प्रदान करने वाली ५३ सूचनादात्रियों से सा०वि० के सुचारू क्रियान्वयन न हो पाने सम्बन्धी कारणों की जानकारी की गयी; प्राप्त जानकारी पर निम्न तालिका सं. २ संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका २ – सामाजिक विधानों के सुचारू क्रियान्वयन न हो पाने सम्बन्धी कारण

क्रमांक	सुचारू क्रियान्वित न हो पाने सम्बन्धी कारण	संख्या	प्रतिशत
१.	न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार	१६०	६४.००
२.	कानूनों व अधिनियमों में सीमाएं व लचीलापन	६५	२६.००
	जन जागरूकता का अभाव		
३.		२५	१०.००
	समस्त	**२५०**	**१००.००**

प्रस्तुत प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट है कि २५० सूचनादात्रियों में से ६४ प्रतिशत का मानना है कि न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार सा०वि० के सुचारू क्रियान्वयन में बाधक कारक है; २६ प्रतिशत ने कानूनों व अधिनियमों में व्याप्त सीमाएं तथा लचीला होना तथा २५ प्रतिशत ने जन जागरूकता का अभाव सा०वि० के सुचारू क्रियान्वयन के मार्ग में बाधक कारक स्वीकार किए हैं। गहन पूछताछ करने पर निम्न तथ्य उभर कर आए हैं–

तालिका ३- सामाजिक विधानों के सुचारू क्रियान्वयन में बाधक विभिन्न कारक

क्रमांक	सा०वि० के सुचारू क्रियान्वयन में विभिन्न बाधक कारक/कारक	संख्या	प्रतिशत
१.	न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार	१६०	६४.००
२.	सामाजिक विधानों में लचीलापन व व्याप्त सीमाएं		
	जन जागरूकता का अभाव	६५	२६.००
३.	(१+२)	२५	१०.००
४.	(२+३)	२२५	९०.००
५.	(३+१)	९०	३६.००
६.	(१+२+३)	१८५	७४.००
७.		२५०	१००.००

संकेताक्षर : १ = न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार

२ = सामाजिक विधानों में लचीलापन व व्याप्त सीमाएं

३ = जन जागरूकता का अभाव

(१+२) = न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार + सा०वि० में लचीलापन व सीमाएं

(२+३) = सा०वि० में लचीलापन व सीमाएं + जन जागरूकता का अभाव

(३+१) = जन जागरूकता का अभाव + न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार

(१+२+३) = न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार + सा०वि० में लचीलापन व सीमाएं + जन जागरूकता का अभाव

उपरोक्त तालिकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय सामाजिक विधानों के सुचारू क्रियान्वयन में विभिन्न कारक यथाः न्यायालयों में व्याप्त भृष्टाचार, सामाजिक विधानों में लचीलापन व व्याप्त सीमाएं/दोष, जन जागरूकता में कमी आदि हैं।

तालिका सं. ४- सामाजिक विधानों के सुचारू क्रियान्वयन में बाधक विभिन्न सामाजिक कारक

क्रम	भारत में सामाजिक विधानों की सफलता में बाधक कारक	२५० में से संख्या	प्रतिशत
१	अशिक्षा	२००	८०.००
२	अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता व भाग्यवादिता	१९२	७६.८०
३	जाति व्यवस्था के नियम	१३१	५२.४०
४	महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता	२०५	८२.००
५	विधानों को लागू करने में प्रशासनिक उदासीनता	२१०	८४.००
	स्वस्थ्य जनमत निर्माण का अभाव		
६	अवहेलना करने वालों को समुचित दण्ड की कमी	१४७	५८.८०
७	सामाजिक विधानों की उपयोगिता का प्रचार प्रसार न करना	१५०	६०.००
	सामाजिक विधानों के सैद्धान्तिक रूप व व्यवहार में		
८	भिन्नता	११०	४४.००
	निर्धनता		
९	सामाजिक विधानों के प्रति विश्वास का अभाव	१८४	७३.६०
१०		११८	४७.२०
११		१६९	६७.६०

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकड़ों की प्रतिशतता यह स्पष्ट करती है कि भारत में सामाजिक विधानों की असफलता के लिए उपरोक्त निर्दिष्ट कारण उत्तरदायी हैं। शोधार्थिनी ने उपरोक्त निर्दिष्ट असफलता के कारणों तथा सामाजिक विधानों के मध्य असंगत/आकस्मिकता गुणॉक **;फ्द्ध** की गणना भी की है; जिस पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका सं. ५–असफलता सम्बन्धी कारण तथा विभिनन सामाजिक विधान

क्रमांक	**असफलता सम्बन्धी कारणों के प्रति अभिमत**	**सूचनादात्रियों की संख्या**		**योग**
		अशिक्षित	शिक्षित	
१	''हाँ''	३०।	१००ठ	१३०
२	''नहीं''	१२ह	१०८क	१२०
	समस्त	**४२**	**२०८**	**२५०**

$$\text{असंगत/आकस्मिकता गुणाँक (Q)} = \frac{AD - BC}{AD + BC} = \frac{30 \times 108 - 100 \times 12}{30 \times 108 + 100 \times 12} = \frac{3240 - 1200}{3240 + 1200}$$

$$= \frac{2040}{4440} = 0.459 \text{ (धनात्मक)}$$

निष्कर्षः विभिन्न सामाजिक विधानों तथा असफलता सम्बन्धी कारणों के मध्य असंगत गुणॉक (Q) का परिककलनात्मक मान (+)०.४५६ पाया गया है जो (±)१ के मध्य एवं उच्च कोटि का है जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त कारक सामाजिक विधानों की सफलता के मार्ग में बाधक हैं।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्षतः कहा जा सता है कि अशिक्षा, अन्ध विश्वास, भाग्यवादी विचारधारायें, जाति व्यवस्था के नियम, महिलाओं की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता, विधानों को लागू करने में प्रशासनिक उदासीनता, स्वस्थ्य जनमत निर्माण का अभाव, सामाजिक विधानों की अवहेलना करने वालों को उचित दण्ड न मिल पाना, सामाजिक विधानों की उपयोगिता का प्रचार- प्रसार न करना, सामाजिक विधानों के सैद्धान्तिक स्वरूप तथा व्यवहार में भिन्नता, निर्धनता तथा विभिन्न सामाजिक विधानों के प्रति जनसाधारण में विश्वास पैदा न कर पाना आदि कारण भारतीय सामाजिक विधानों की असफलता के मार्ग में बाधक कारक हैं फिर भी सामाजिक विधान प्रासंगिक हैं।

संदर्भः

१.	अवस्थी शैलेन्द्र	२००६ : 'मानव अधिकार', इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, (उ०प्र०) प्रथम संस्करण
२.	अन्सारी जैड०एच०	२०१३ : 'चाइल्ड ऐब्यूजेस अमंग अरवन स्लम्स' सोसल चेन्ज जर्नल, वॉल्यूम १८(४) दिसम्बर, दिल्ली
३.	अग्रवाल रश्मि	२०१६ : प्रोटैक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वॉइलेन्स एक्ट २०१५, (ऐलॉग विद शॉर्ट नोट्स) इलाहाबाद पब्लिकेसन्स, इलाहाबाद
४.	अग्रवाल जी०के०	२०१० : सामाजिक विघटन, मादक द्रव्य व्यसन, आगरा बुक स्टोर, हॉस्पीटल रोड, फुहारा, आगरा (उ०प्र०)
५.	अग्रवाल यतीश	२००८ : ड्रग्स इन मॉडर्न सोसायटी, सोमाया पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स अन्धेरी, बॉम्बे
६.	अल्फ्रेड जे०के०	२०१३ : रिसर्च डिजाइन एण्ड स्ट्रेटेजीस इन सोसल साइन्सेज, रिनेहार्ट एण्ड विन्सटन प्रेस, हॉल्ट, न्यूयार्क
७.	अल्फ्रेड लिण्ड स्मिथ	२०१८ : द ड्रग ऐडिक्ट, एस.ए. साइकोपैथ,अमेरिकन सोशियो-लॉजिकल रिब्यु, न्यूयार्क
८.	आहूजा राम	२०१७ : सामाजिक समस्याएं : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, रावत प्रकाशन, जवाहर नगर, (राजस्थान) जयपुर
९.	.....	२०१७ : आई.सी.आर.डब्ल्यू., टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोसल साइन्सेज बॉम्बे एण्ड पुलिस कमिश्नर बॉम्बे द्वारा 'महिला हिंसा' परिपत्र
१०.	.....	२०१६ : इण्टरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन, प्रतिवेदन, हैदराबाद